

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 के तहत

वाद सं०-एग० 72/2022

मो० कुन्ती देवी वगैरह बनाम सुखदेव सिंह मुण्डा वगैरह

तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
1	2	3

09-06-2022

प्रस्तुत वाद में धारा-107 द० प्र० सं० के थाना प्रभारी, महिला थाना, बुण्डू के अप्राथमिकी संख्या-01/22 दिनांक 04/04/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष मारपीट छेड़छाड़ का आरोप लगाना एवं द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष पर नाबालिक लड़की को भगाकर ले जाने का आरोप से संबंधित विवाद है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।


अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द० प्र० सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000/- (पचास हजार) रु० मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 18-06-2022 को उपस्थापित करें।



अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

बुण्डू।

आदेश की संख्या/दिनांक Order No./Date	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Magistrate
12-12-2022	प्रथम पक्ष क्रम सं०. 02, 03 हाजरी एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। द्वितीय पक्ष क्रम सं०. 01, 02, 03, 05, 06, 07 हाजरी एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी/पीठाधीन दण्डाधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त/ दिनांक 19-12-2022 को रखें। Eo-
19-12-2022	अभिलेख उपस्थापित/प्रथम पक्ष क्रम सं०. 02, 03 उपस्थित एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। द्वितीय पक्ष उपस्थित। दंप्र० सं की धारा-116(06) के अनुसार, धारा-107 की अवधि दरः (06) माह की होती है। इस वाद में भी वैधानिक समय सीमा दरः (06) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है, अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दोनों पक्षों में शांति बने रहने तथा संबंधित शाना द्वारा भी निर्धारित तिथि तक में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अप्राप्त रहने की दशा में वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। इस संबंध में संबंधित को सूचित करें।  कार्य० दण्डा० कुड्ड